न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 109/2018

1. मोहम्मद असलम पुत्र
2. मोहम्मद सलीम पुत्र
3. शकील अहमद पुत्र
4. रियाज अहमद पुत्र
5. इमरान अली पुत्र
6. मोहम्मद आफाक पुत्र
7. शाहिस्ता परवीन पुत्री
8. आमना खातून पत्नि

शब्बीर अहमद जाति मुसलमान निवासी मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. सिराज अहमद पुत्र
2. मुख्तार अहमद पुत्र
3. गुलजार अहमद पुत्र
4. रफीक अहमद पुत्र
5. मकबूल अहमद पुत्र
6. मोहम्मद अलि पुल
7. कनीज बेगम पुत्री
8. हसीना बेगम पुत्री
9. नाज परवीन पुत्री
10. जमीला बेगम पत्नि

फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मांगरोल जिला बारां

11. खातून पुत्री अ0 रहमान पत्नि मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी मांगरोल
12. जमीला पुत्री अ0 रहमान पत्नि अब्दुल हक जाति मुसलमान निवासी मांगरोल
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील प्रतिवादी कम 11 व 12: श्री श्याम पारेता
वकील प्रतिवादी कम 1 ता 10 : श्री लवकुल गौड
दायरा दिनांक: 30.08.2018

निर्णय दिनांक : 06.11.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

वाब उर्फ बाब्या उर्फ लाल्या पुत्र जुम्मा (फोत)
↓
अब्दुल रहमान फौत
↓

शब्बीर अहमद (फौत) | फतेह मोहम्मद (फौत) | खातून (प्रति0 नं0 11) | जमीला (प्रति0 नं0 12)

शब्बीर अहमद (फौत) ↓ वादीगण

फतेह मोहम्मद (फौत) ↓ प्रतिवादीगण कम 1 ता 10

[illegible] काश्त की भूमि खाता संख्या 150 खसरा नं0 401 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 430 रकबा [illegible] कुल किता 2 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम जैतलहेडी में स्थित है जो वर्तमान में वाब उर्फ बाब्या उर्फ [illegible] पुत्र जुम्मा के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी सेटलमेंट पूर्व खसरा नं0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल [illegible] रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 323 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा दर्ज रेकार्ड थें। सेटलमेंट संवत 2014-2023 से पूर्व उक्त भूमि वाब पुत्र जुम्मा के खाते दर्ज थी। जिसको सेटलमेंट के दौरान खातेदार का नाम बाब्या कर दिया। तथा उसके पश्चात उक्त खाते में नाम लाल्या पुत्र जुम्मा कर दिया इस प्रकार उक्त भूमि वाब पुत्र जुम्मा के खाते की है। मुताबिक पारिवारिक विभाजन उक्त भूमि पर वाब पुत्र जुम्मा के समय से ही वादीगण के दादा अब्दूल रहमान पुत्र वाब काश्त करते थें जिनका नाम बतौर जेली राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अतः वाद पत्र में वर्णित आराजी खाता संख्या 150 खसरा नं0 401 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 430 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम जैतलहेडी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी 13 को आदेश दिया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 30.08.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण कम 1 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री लवकुल गौड ने वकालत नामा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी कम 11 व 12 से अधिवक्ता श्री श्याम पारेता ने दिनांक 24.09.2018 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण 1 ता 12 की ओर से दिनांक 24.09.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा अनुसार प्रतिवादी कम 1 ता 12 द्वारा वाद पत्र की समस्त मद स्वीकार की है एवं निवेदन किया है कि आराजी खाता संख्या 150 खसरा नं0 401 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 430 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम जैतलहेडी पर वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 10 के परदादा व प्रतिवादी कम 11 व 12 के दादा के नाम खाते दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजी पारिवारिक विभाजन के आधार पर वादीगण के हिस्से में आयी है जिस पर पूर्व में वादीगण के पिता/पति व वर्तमान में वादीगण ही काश्त करते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी से प्रतिवादी कम 1 ता 10 को कोई वास्ता नही है तथा प्रतिवादी कम 11 व 12 अपने हिस्से का हक तर्क मौखिक रूप से पूर्व में कर चुकी है। उक्त आराजी को वादीगण के खाते दर्ज करने में प्रतिवादी कम 1 ता 12 को किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 06.11.2018 को वादीगण के अधिवक्ता व प्रतिवादीगण 1 ता 12 के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। सुनी गयी बहस, प्रस्तुत दस्तावेज तथा वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 12 द्वारा इकबालिया जवाब के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आराजी खाता संख्या 150 खसरा नं0 401 रकबा

खसरा नं0 430 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम जैतलहेडी जिस पर वर्तमान में काबिज काश्त है का खातेदार कृषक वादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार ...को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली ...शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन